

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2026/194725/BAN/BANDA/649/CFO**

दिनांक: **09-04-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. XAVIERS HIGH SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **5347,CHILLA ROAD,BANDA** तहसील - **BANDA** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|------------|----------------|--------------------|-----------|
| BLOCK B | 3 | 0 | 12.65 mt. |
| BLOCK A | 2 | 0 | 8.70 mt. |

तथा प्लॉट एरिया **8330.0 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST. XAVIERS HIGH SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **12-04-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Brijesh Dwivedi Ph- 9721714102** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-04-2026** से **14-04-2031** तक **5** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : U P F & E S Act-2022, Rules-2024, NBC-2016,के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम सत्ता प्राधिकारी को इस शर्त के साथ नवीनीकरण की जा रही है कि भवन स्वामी/ अधिभोगी अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग को प्रेषित करेंगे। फायर उपकरणों की वार्षिक ए.एम.सी./मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जायेगी। विद्युत विभाग का विद्युत सुरक्षा प्रमाण -पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता, सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगी। यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है या अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील दशा में पायी जाती है तो यह एनओसी. स्वतः निरस्त समझी जायेगी।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Matloob Husain

E872E07371782ED3697DDF55DC4EE749795B7A3B

15-04-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **15-04-2026**
स्थान : **BANDA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.